

**योजना का उद्देश्य;** यह योजना भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है

**पात्रता स्वीकृति हेतु**

इन्दिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम सम्मिलित हो एवं स्वीकृति वर्ष हेतु वरीयता सूची में नाम सम्मिलित हो।

**द्वितीय किशत हेतु**

आवास का लिन्टल स्तर तक निर्मित होना।

**तृतीय किशत हेतु**

आवास का छत तक निर्माण पूर्ण होना साईन बोर्ड सहित।

**आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज स्वीकृति के समय**

**अनिवार्य-**

1. बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति जिसमें प्थैब कोड अंकित हो अथवा पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक की फोटो प्रति
2. लाभार्थी का फोटो (स्वीकृति आवेदन के समय स्वयं का)
3. जमीन का पट्टा
4. विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लाभार्थी विकलांग कोटे द्वारा चयनित है)

**अनिवार्य नहीं-**

1. नरेगा जाँब कार्ड की फोटो प्रति।
2. आधार कार्ड की फोटो प्रति।

**द्वितीय किशत आवेदन के समय अनिवार्य**

1. आवास के द्वितीय किशत के समय आवास के लिन्टल स्तर तक निर्माण के साथ लाभार्थी का फोटो।

**तृतीय किशत आवेदन के समय अनिवार्य**

आवास के छत निर्माण व लोगो सहित लाभार्थी का फोटो।

**अनुदान-** 20 व.मी. प्लिंथ क्षेत्र में पक्का निर्माण करने पर रु. 70,000/- प्रति आवास।

**शुल्क-** इस विभाग द्वारा आवास सहायता अनुदान स्वीकृति/किशत हस्तान्तरण जारी करने हेतु लाभार्थी द्वारा आवेदन देने पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।

आवेदन करने की समय सीमा- आवास अनुदान सहायता स्वीकृति हेतु सामान्यतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के जून माह तक परन्तु उस वित्तीय वर्ष में उक्त अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है। द्वितीय/तृतीय किशत हेतु आवेदन निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण करने के

पश्चात् सामान्यतः स्वीकृति वर्ष व आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है परन्तु उक्त अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है।

**सेवा वितरण योग्य/आउटपुट-** लाभार्थियों द्वारा ऑफलाइन स्वीकृति जारी/द्वितीय/तृतीय किश्त हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन करने पर वर्तमान में उन्हें आवेदन की प्राप्ति रसीद दी जाती है। लाभार्थियों द्वारा ऑफलाइन आवेदन करने पर उन्हें आवास स्वीकृति/द्वितीय/तृतीय किश्त राशि हस्तान्तरण की लिखित सूचना प्रदान नहीं की जाती है। यह जानकारी लाभार्थी आवाससाॅफ्ट से प्राप्त कर सकता है। अतः एसएसडीजी पर भी ऑफलाइन के अनुरूप आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जानी है जिसका प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।